न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 270/2011

नारायण पुत्र गणेशराम जाति ब्राहमण निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां ....वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. हरिशंकर पुत्र श्री बिरधीलाल
2. नीरू पुत्र श्री हरिशंकर

} जातियान ब्राहमण निवासीगण बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां

3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा
वकील प्रतिवादीगण : श्री भंवर सिंह गौड
दायरा दिनांकः 12.10.2011

निर्णय दिनांक : 27.12.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की शामलाती पारिवारिक पैतृक खाता व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नं0 2396 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 2397 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 2398 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 2399 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 2781 रकबा 2.33 है0, खसरा नं0 2814 रकबा 0.90 है0, खसरा नं0 2820 रकबा 2.48 है0, खसरा नं0 2827 रकबा 2.69 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 8.97 है0 वाके माल बोहत तहसील मांगरोल खाता संख्या 251 पर वर्तमान में दर्ज रेकार्ड है। जिस पर वादी पैतृक सयम से काबिज काश्त है। उक्त वर्णित आराजी मे से खसरा नं0 2814 रकबा 0.90 है0 आराजी वादी को पारिवारिक बंटवाने से प्राप्त हुई है। प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी के पडौसी काश्तकार है, एवं वादी की जानकारी में आया है कि प्रतिवादीगण वादी की आराजी खसरा नं0 2814 रकबा 0.90 है0 पर कब्जा करने पर प्रयासरत है। अतः सादर डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि वादी की खाता आराजी खसरा नं0 2814 रकबा 0.90 है0 वाके माल बोहत तहसील मांगरोल पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न अपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 12.10.2011 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भंवर सिंह गौड ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण कम 1 व 2 द्वारा आज दिनांक तक जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा आज दिनांक तक जवाब

ही करने से जवाब बन्द किया गया। दिनांक 28.11.2016 को प्रतिवादीगण कम 1 व 2 असालतन व लतन अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली में दिनांक 27.12.2018 को वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में निवेदन किया है कि उसकी कब्जे व खाते की आराजी ग्राम बोहत में आराजी खसरा नं0 2814 रकबा 0.90 है0 में प्रतिवादी कम 1 व 2 बदनियति रखता है एवं वादी को काश्त करने में दखलअंदाजी करता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी कम 1 हरिशंकर पुत्र श्री बिरधीलाल व प्रतिवादी कम 2 नीरू पुत्र श्री हरिशंकर जाति ब्राहमण निवासी बोहत को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी की कब्जे व खाते की आराजी ग्राम बोहत में आराजी खसरा नं0 2814 रकबा 0.90 है0 में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें व वादी को शांति पूर्वक काश्त करने देवें। प्रतिवादी कम 3 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) को आदेश दिया जाता है कि वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में मौके पर वादी की खाते व कब्जे की आराजी खसरा नं0 2814 रकबा 0.90 है0 का सीमाज्ञान करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया